20/2/26

पत्रा. पेश हुई अनु. उप. दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर वादिनी एवं प्रति. सं. 01 को विवादित आराजी जिसके हिस्से पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। निर्णय पृथक से ~~जारी~~ लिखा गया।

पत्रा. फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो

डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, नदबई

व इजलास श्री सचिन यादव ,आर.ए.एस

मु0 उ0 सावित्री बनाम बलवीरी बगै0

दावा बाबत् 88, 89, 188 रा0का0 अधिनियम

मुकदमा नंबर 147 / 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू .....– व हाजरी वादी मिनजानिब मुददठ व ..... मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में अंकित विवादित आराजी खसरा नं0 143 रकवा 0.17, 415 रकवा 0.14 किता 02 रकवा 0.31 हैक्टे. वाके ग्राम गुबरऊआ तहसील नदबई जिला भरतपुर में दावा. वादीगण स्वीकार किया जाकर हाल राजस्व रिकॉर्ड में हो रहे इन्द्राजातों को कलमजन किया जाकर वादिनी एवं प्रतिवादी संख्या 01 को वाहिस्सा बराबर निस्फ हिस्से का खातेदार काश्तकार खातेदार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

बेज – मुबलिग ——— बावत ——— खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह ———फीसदी सालाना आज की तारीख सं तरीख व सुलयाबी तक ——— की अदा करें ।

ह दसब्त व मुहर अदालत के आज तारीख 20\02\26 को जारी की गई ।

मुहरदस्तखत उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)

मुद्दई	रूप्या	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बावत इजराय हुक्म नामा मुतफर्रिक मीजान			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी म्हनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बवत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान		

1. सवित्री पुत्री जल सिंह पत्नि महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी गुबरउआ तहसील नदबई।

—वादिनी

बनाम

1. बलवीरी पत्नि जल सिंह जाति जाट निवासी गुबरउआ तहसील नदबई।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई।

— प्रतिवादीगण

खण्ड अधिकारी
नदबई (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री सचिन यादव R.A.S.)

प्रकरण सं. 147 / 2025
जीसीएमएस नं0 2025 / 318
किस्म दावा 88, 89, 188 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 20.02.2026

. सवित्री पुत्री जल सिंह पत्नि महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी गुबरउआ तहसील नदबई।

—वादिनी

बनाम

1. बलवीरी पत्नि जल सिंह जाति जाट निवासी गुबरउआ तहसील नदबई।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई।

— प्रतिवादीगण

उपस्थित श्री रमेश चंद देशवार एड0 (वादी की ओर से)
श्री पृथ्वी सिंह एडवो0 (प्रतिवादी की ओर से)

: निर्णय : दावा अन्त.धारा 88, 89, 188 आर.टी.ए.

वादीगण द्वारा अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकार अधिनियम के तहत पेश किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :—

1. यह है कि पक्षकारान मुकदमे में ऐसा कोई सख्श नहीं है, जो दावा के अयोग्य हो सभी पक्षकारान वाद लडने योग्य हैं।
2. यह है कि विवादित आराजी खसरा नं0 143 रकवा 0.17, 415 रकवा 0.14 किता 02 रकवा 0.31 हैक्टे. वाके ग्राम गुबरऊआ तहसील नदबई जिला भरतपुर में स्थित है। नकल जमाबंदी हाल ग्राम गुबरऊआ, फोटोप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत कटारा दावा के साथ संलग्न है।
3. यह है कि विवादित आराजी मुतदाबिया हाल राजस्व रिकॉर्ड में मृतक जल सिंह पुत्र परभाती के नाम दर्ज चली आ रही है। मृतक जल सिंह की मृत्यु सन् 2020 में ग्राम गुबरऊआ में हो गई है। जिसके एक वारिसान वादिनी व प्रतिवादिनी ही है। दावा के साथ सरपंच ग्राम पंचायत कटारा द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र है। जिससे वादिनी एवं प्रतिवादिनी ही मौके पर काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। वादिनी अपने मृतक पिता की कब्जे

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

...श्त सहखातेदारी की आराजी मुतदाविया में निरफ हिस्से की हकदार है। अतः वादिनी निरफ हिस्से की खातेदार घोषित करा पाने की अधिकारी है।

यह है कि प्रतिवादनी बहुत ही चालाक किस्म की औरत है। जिसने वादिनी के निरफ हिस्से से वंचित करने की नियति से आज तक विरासत दाखिला खारिज नहीं करवाया है। वादिनी के कहने पर यह कहती रही है। कि तुझे क्या जल्दी है इस समय प्रतिवादनी को किसी प्रकार का झांसा देकर राजस्व कर्मचारियों से साजिश करके गुपचुप तरीके से अपने नाम सम्पूर्ण रकवा की खातेदारी करा लेने से दीगर सक्श के लिए रहनवय मुन्तकिल करने को आमाद फिसाद है।

अतः श्रीमानजी से प्रार्थना है वादपत्र वादीगण निम्न प्रकार डिकी फरमाया जावे।

(अ) यह है कि वादपत्र में अंकित आराजी में वादिनी एवं प्रतिवादी संख्या 01 को वाहिस्सा बराबर निस्फ निस्फ हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं हाल राजस्व रिकॉर्ड में हो रहे इन्द्राजातों को कलमजन किया जावे।

(ब) यह है कि प्रतिवादीगण संख्या 01 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वो विवादित वादपत्र की आराजी में मदाखलत मजाहमत न करें तथा राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथावत स्थिति बनाये रखे।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादीगण संख्या 1 की ओर से श्री पृथ्वी सिंह एडवो0 द्वारा उपस्थित होकर इकबाल दावा पेश किया । जो शामिल पत्रावली किया गया।

वादीगण द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी संबत 2075–78 वाके ग्राम गुबरऊआ, मृत्यु प्रमाण–पत्र जल सिंह एवं ग्राम पंचायत कटारा की ओर से जलसिंह (फौत) का सजरा पेश किया गया एवं मौखिक साक्ष्य के रूप में श्रीमती सावित्री पुत्री जल सिंह पत्नि महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी गुबरऊआ पी.ड. 01 एवं श्री संजय कुमार पुत्र श्री बाबूलाल जाति जाटव निवासी गुबरऊआ पी.ड. 02 के शपथ पत्र पेश किये गये।

हमने वादी एवं प्रतिवादी अधिवक्तागण की ओर से बहस सुनी गई । वादी अधिवक्तागण की ओर से अपने वादपत्र में अंकित तथ्यों को ही पुनः दोहराया गया है एवं प्रतिवादी अधिवक्ता की ओर से कथन रहे कि वादी द्वारा वादपत्र को स्वीकार करने के समर्थन में इकबालदावा पेश किया जा चुका है। इकबाल दावा प्रतिवादनी स्वीकार फरमाया जाकर वादिनी के दावा को डिकी किये जाने में सहमति है।

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

सत्यमेव जयते

हमने उभयपक्षकारान अधिवक्ता की बहस को सुना गया, तथा पत्रावली में उपलब्ध साविक रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया तो पाया कि वादीगण द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आरटीए के तहत पेश किया गया है। विवादित आराजी खसरा नं0 143 रकवा 0.17, 415 रकवा 0.14 किता 02 रकवा 0.31 हैक्टे. वाके ग्राम गुबरऊआ तहसील नदबई जिला भरतपुर में स्थित है। विवादित आराजी हाल राजस्व रिकॉर्ड में मृतक जल सिंह पुत्र परभाती के नाम दर्ज चली आ रही है। मृतक जल सिंह की मृत्यु सन् 2020 में ग्राम गुबरऊआ में हो गई है। जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न है। जिसके एक वारिसान वादिनी व प्रतिवादिनी ही है (सरपंच द्वारा राजरा पेश है)। वादिनी अपने मृतक पिता की कब्जे काश्त सहखातेदारी की आराजी मुतदाबिया में निस्फ हिस्से की हकदार है। प्रतिवादी की ओर से वादपत्र के समर्थन में प्रस्तुत इकबाल दावा भी वादपत्र स्वीकार करने के हक में ताहिद करता है। प्रतिवादीगण की ओर से कोई उजरदारी पेश नहीं की गई है। इसलिए वादिनी को खातेदारी अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। दावा वादीगण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में अंकित विवादित आराजी खसरा नं0 143 रकवा 0.17, 415 रकवा 0.14 किता 02 रकवा 0.31 हैक्टे. वाके ग्राम गुबरऊआ तहसील नदबई जिला भरतपुर में दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर हाल राजस्व रिकॉर्ड में हो रहे इन्द्राजातों को कलमजद किया जाकर वादिनी एवं प्रतिवादी संख्या 01 को वाहिस्सा बराबर निस्फ हिस्से का खातेदार काश्तकार खातेदार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 20/02/26 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(सचिन यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी नदबई
उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

सत्यमेव जयते